...नरेश

मुद्रित 14 फारम सं0 562

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

आदेश पत्रक ता0..तक जिला धनबाद

एम.पी.वाद सं0.............. 599/17 धारा 144 द.प्र.सं.

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर
11.4.17	द.प्र.सं. की धारा-144 के तहत् थाना प्रभारी, बलियापुर से अप्राथमिकी सं0-05/2017 दिनांक -06.04.2017 से प्रतिवेदन प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन में दिया गया है कि प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच भूमि विवाद है, जिसमें पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की सम्भावना बनी हुई है। पुलिस प्रतिवेदन का मैंने अवलोकन किया तथा अवलोकनोपरान्त मैं सन्तुष्ट हूँ की उक्त विवाद को लेकर पक्षकारों के बीच शांति भंग होने की संम्भावना बनी हुई है, जिसका तुरंत रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अतः उभय पक्षों के विरूद्ध द.प्र.सं. की धारा-144 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। कार्रवाई प्रर्यन्त 60 (साठ) दिनों तक प्रश्नगत् भूमि पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पक्षकारों को आदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि 15.4 ....को 10:30 बजे पूर्वा0 में मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना -अपना कारणपृच्छा दाखिल करें कि क्यों नही धारा-144 के अन्तर्गत जारी निषेधाज्ञा आपके विरूद्ध सम्पुष्ट किया जाय। **प्रश्नगत भूमि का विवरण** मौजा-अमझर, मौजा नं०-35, खाता नं०-113, प्लॉट नं०-2503 एवं 2501, कुल रकवा-18 डिसमिल, चौहद्दी-पुरब में-मागाराम महतो का परती जमीन, पश्चिम-राजीव मंडल का घर, उत्तर-पी०डब्लु०डी० जो पक्की सड़क है,दक्षिण-राजीव मंडल का खाली जमीन। लेखापित एवं संशोधित, 11/04/2017 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद। 11/04/2017 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद।

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.23 13:20:24 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner